



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265069
CG-DL-E-30072025-265069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3419]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3419]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3502(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के यावतमाल जिलेमहागांव तालूके के हिवरा (संगम)गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 (नया) के कि.मी. 320.580 से कि.मी.400.575 कि.मी.(महागांव-यवतमाल खंड) का निर्माण (चौड़ा करणे/पेव्ड शोलडर सहित 2-लेन/4-लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उविभागीय अधिकारी भूसंपादन उमरखेडको लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी. 320.580 से कि.मी. 400.575 (महागांव-यवतमाल खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: यवतमाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: महागांव					
गांव का नाम: हिवरा संगम					
1	12/2	निजी	कृषि	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
2	12/3	निजी	कृषि	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
3	12/4	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
4	13/2A	निजी	कृषि	0.176 (हेक्टेयर)	0.176
5	13/4	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
6	15/1	निजी	कृषि	0.709 (हेक्टेयर)	0.709
7	17/2B	निजी	कृषि	0.275 (हेक्टेयर)	0.275
8	18/2	निजी	कृषि	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
9	18/3	निजी	कृषि	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
10	2/1	निजी	कृषि	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
11	81/3A	निजी	कृषि	0.154 (हेक्टेयर)	0.154
12	82/5	निजी	कृषि	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
13	9/3	निजी	कृषिक	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
14	92/2A	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
15	93/4	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
Total					1.952

[फा. सं. NHA/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3502(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Four widening/two lane with paved shoulder/four laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 361(New) in the stretch of Land , from Km 320.580 to Km 400.575 (Mahagaon-Yavatmal Section) in Hiwra (Sangam) Village Taluka Mahagaon District Yavatmal in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act. Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Sub-Divisional Officer Land Acquisition Umarkhed in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.320.580 to Km 400.575 (Mahagaon-Yavatmal Section) in the district of Yavatmal in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: YAVATMAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mahagaon					
Village: Hiwara Sangam					
1	12/2	Private	Agriculture	0.055 (Hectare)	0.055
2	12/3	Private	Agriculture	0.066 (Hectare)	0.066
3	12/4	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
4	13/2A	Private	Agriculture	0.176 (Hectare)	0.176
5	13/4	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
6	15/1	Private	Agriculture	0.709 (Hectare)	0.709
7	17/2B	Private	Agriculture	0.275 (Hectare)	0.275
8	18/2	Private	Agriculture	0.033 (Hectare)	0.033
9	18/3	Private	Agriculture	0.121 (Hectare)	0.121
10	2/1	Private	Agriculture	0.055 (Hectare)	0.055
11	81/3A	Private	Agriculture	0.154 (Hectare)	0.154
12	82/5	Private	Agriculture	0.066 (Hectare)	0.066

13	9/3	Private	Agriculture	0.066 (Hectare)	0.066
14	92/2A	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
15	93/4	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
Total					1.952

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director